राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
193 / 2023	23.05.2023	09.03.2024

उनवान

1. खेमचन्द पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड अधिवक्ता – वादी ।

–::निर्णय::– दिनांक :– 09.03.2024

आज यह पत्रावली वादी एवं वकील वादी द्वारा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत मे लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने के बाबत कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पेश हुई। वादी एवं वकील वादी तथा पैरोकार सरकार लोक अदालत मे पेश हुए। वादी के वाद का सारः रहा कि वादी ग्राम भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला हाल कोटपूतली–बहरोड का रहने वाला है तथा आराजी ख.नं. 10/0.20, 11/0.21, 137/0.13, 138/0.28, 7/0.16, 761/0.21 हैक्टर वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी मुतनाजा वादी व अन्य सहखातेदारान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी होकर वादी का 1/4 हिस्सा आराजी है तथा वादी व अन्य सहखातेदारान अपने – अपने हक व हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है मौके पर काबिज है। वादी का वास्तविक सही नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल परन्तु परिवार व गांव मे खेमू पुत्र सोहनलाल के नाम से भी पुकारते है दोनों की नाम वादी के ही है तथा खेमचन्द पुत्र सोहनलाल की अन्य खातेदारी की आराजी मे व वादी के पहचान के समस्त दस्तावेजात यथा बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड मे वादी का नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल ही दर्ज है। आराजी मुतनाजा मे वादी की खातेदारी मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा बेजा तौर पर विवादित आराजीयात मे खेमचन्द पुत्र सोहनलाल की बजाय खेमू पुत्र सोहनलाल दर्ज कर दिया जो ताहाल रिपिट होता चला आ रहा है, जो खिलाफ कानून है। उक्त बेजा इन्द्राजात सभी हकूक वादी बातिल व बेअसर करार दिया जाकर आराजी मुतनाजा मे वादी की खातेदारी मे अंकित नाम खेमू पुत्र सोहनलाल कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज कर अमलदरामद किया जाना न्यायसंगत है आदि – आदि अंकित करते हुए दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजीयात के बाबत वादी का नाम जो खेमू पुत्र सोहनलाल दर्ज किया हुआ है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। मुताबिक प्रस्तुत जवाब दावे

के बिन्दू संख्या 1 सही है स्वीकार है तथा बिन्दू संख्या 2 लगायत 6 वादी स्वयं सिद्ध करे एवं बिन्दू संख्या 7 लगायत 10 कानूनन होकर सुनने योग्य है तथा बिन्दू संख्या 12 के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजात मे वादी का नाम खेमचन्द अंकित होना तथा वाके ग्राम सलारपुर के अन्य खसरा नम्बर 44 के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के भाई शादीराम, सुखराम के साथ–साथ खेमचन्द नाम दर्ज रिकॉर्ड अवगत कराते हुये विवादित उक्त खसरा नम्वरान 10, 11, 137, 138, 7, 761 के राजस्व रिकॉर्ड मे अन्य भाईयों के नाम के साथ ही वादी का नाम खेमू पुत्र सोहनलाल दर्ज है आदि अंकित करते हुये प्रकरण मे दुरुस्ती कर वादी का नाम खेमू पुत्र सोहनलाल की वजाय खेमचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज किया जाता है तो राजहित प्रभावित नही होता है अंकित कर पेश हो कर जवाव दावा शामिल पत्रावली किया।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी वाके ग्राम सलारपुर संवत 2073–76 प्रदर्श– 01, नकल जमाबंदी वाके ग्राम सलारपुर संवत 2073–76 प्रदर्श –02, मूल घरेलू बिजली बिल प्रदर्श – 03, ग्राम पंचायत रोडवाल द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श– 04 एवं आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 4 एवं पहचान के दस्तावेजात की पृथक–पृथक 5 छायाप्रतियों के बावत अभिकथन करते हुए निवेदन किया कि वादी के उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे गलत नाम खेमू पुत्र सोहनलाल दर्ज किया हुआ तथा अन्य खाता संख्या 331 खसरा नंम्बर 44 वाके ग्राम सलारपुर मे सही नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज रिकॉर्ड होना तथा पहचान के समस्त दस्तावेजात मे भी खेमचन्द पुत्र सोहनलाल के नाम का अंकन होना एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाव पैरोकार मे भी उक्तानुसार ही अंकित करते हुए वादी का नाम खेमू पुत्र सोहनलाल की वजाय खेमचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज किया जाता है तो राजहित प्रभावित नही होना अंकित कर शामिल पत्रावली होना एवं प्रस्तुत प्रदर्श –4 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रोडवाल द्वारा जारी मे सही नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल अंकित करते हुए खेमू एवं खेमचन्द दोनों ही नामों से जाना जाता है एवं ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है के बावत भी अभिकथन करते हुए वादी के वाद को डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे सही नाम खेमचन्द पुत्र सोहनलाल दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता के अवलोकन उपरांत वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादी के आराजी ख.नं. 10/0.20, 11/0.21, 137/0.13, 138/0.28, 7/0.16, 761/0.21 हैक्टर वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–वहरोड के बावत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल रिकॉर्ड मे वादी के अंकित नाम खेमू पुत्र सोहनलाल को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर खेमचन्द पुत्र सोहनलाल नाम का अंकन किये जाने को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे सुनाया गया।

09-03-2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–वहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
193 / 2023	23.05.2023	09.03.2024

उनवान

1. खेमचन्द पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड़।

वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राजात

–:पर्चा डिक्री:–

वादी की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड एवं प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 09.03.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:–

वादी के वाद को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादी के आराजी ख.नं. 10 / 0.20, 11 / 0.21, 137 / 0.13, 138 / 0.28, 7 / 0.16, 761 / 0.21 हैक्टर वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल रिकॉर्ड मे वादी के अंकित नाम खेमू पुत्र सोहनलाल को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर खेमचन्द पुत्र सोहनलाल नाम का अंकन किये जाने को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

09-03-2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड(राज0)

उपखण्ड अधिकारी